

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 12921/2015

=====

मेसर्स स्टार इलेक्ट्रिकल्स, प्रोप्राइटरशिप फर्म, व्यवसायिक पता - खोजन इमली, हारुन नगर, थाना- फुलवारीशरीफ, जिला- पटना, मालिक- अब्दुल रुफ मोहम्मद, पिता- स्वर्गीय ईद मोहम्मद, निवासी- 144/2. हारुन नगर कॉलोनी, थाना और डाकघर- फुलवारीशरीफ, जिला- पटना।

.....याचिकाकर्ता

बनाम

1. राज्य विद्युत बोर्ड, अब उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी, प्रबंध निदेशक विद्युत भवन बेली रोड, पटना के माध्यम से।
2. विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रभाग, रक्सौल।
3. विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रभाग, बेतिया।
4. सहायक कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति उप-विभाग, रक्सौल।
5. सहायक कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति उप-विभाग, बेतिया।
6. मेसर्स जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र, सीतापुर, जयपुर, प्रबंध निदेशक के माध्यम से।
7. बिहार लोक निर्माण अनुबंध विवाद मध्यस्थता न्यायाधिकरण, रजिस्ट्रार के माध्यम से, तीसरी मंजिल, ब्लॉक बी, मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स, बेली रोड, पटना।

.....प्रत्युत्तरकर्ता/प्रतिवादी

=====

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : मैसर्स गौतम केजरीवाल,
अटल बिहारी पांडेय,
आलोक कुमार झा
मुकुंद कुमार
आकाश कुमार
आदित्य रमन,अधिवक्तागण

प्रतिवादी/ओं की ओर से : श्री आनंद ओझा, अधिवक्ता

=====

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 --- धारा 2 (एच) --- बिहार लोक निर्माण अनुबंध विवाद मध्यस्थता न्यायाधिकरण अधिनियम, 2008 -- धारा 2 (जी), 2 (के) (iii), 8 --- भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 ---- अध्याय एक्स, धारा 41, 70 --- बिहार लोक निर्माण अनुबंध विवाद मध्यस्थता न्यायाधिकरण (अधिकरण) के आदेश को चुनौती देने वाली रिट याचिका जिसके तहत यह माना गया था कि याचिकाकर्ता, एक उप-ठेकेदार, अनुबंध का गैर-पक्ष है और बिहार लोक निर्माण अनुबंध विवाद मध्यस्थता न्यायाधिकरण अधिनियम के प्रावधान के तहत विचार राशि का भुगतान न करने के बारे में विवाद उठाने के लिए सक्षम नहीं है --- इससे पहले, याचिकाकर्ता ने 6 वें प्रतिवादी के कार्यों को निष्पादित किया जो प्रतिवादी नंबर 1 से 5, यानी बिजली बोर्ड द्वारा आवंटित किए गए थे--- विवाद प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से याचिकाकर्ता द्वारा निष्पादित कार्यों के लिए बकाया राशि का भुगतान न करने के लिए है - याचिकाकर्ता की ओर से तर्क दिया गया है कि हालांकि प्रतिवादी संख्या 1 से 5 और याचिकाकर्ता के बीच कोई समझौता नहीं है, प्रतिवादी बोर्ड को याचिकाकर्ता द्वारा निष्पादित कार्यों के बारे में जानकारी थी, इसलिए वे यह तर्क नहीं दे सकते कि याचिकाकर्ता 'पक्ष' की परिभाषा में नहीं आते हैं।

निर्णय:-- प्रतिवादी सं. 1 से 5 ने अपने आचरण और मौन रहकर याचिकाकर्ता को प्रतिवादी सं. 6 को आवंटित कार्य निष्पादित करने की अनुमति दी।--- न्यायाधिकरण का यह निष्कर्ष कि याचिकाकर्ता को "पक्ष" नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यह याचिकाकर्ता उक्त सार्वजनिक उपक्रम और विरोधी पक्षों के समक्ष अनुबंध के लिए अजनबी है, मनमाना और अवैध है, क्योंकि प्रतिवादी सं. 1 से 5 का याचिकाकर्ता द्वारा निष्पादित कार्यों के संबंध में कोई विवाद नहीं है।--- ठेकेदार की ओर से कार्य निष्पादित करने वाले उप-ठेकेदार को न्यायाधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 2(जी) के तहत अर्थ के अनुसार "पक्ष" कहा जा सकता है।--- विवादित आदेश को रद्द किया गया और मामले को चार महीने की अवधि के भीतर विवाद का न्यायनिर्णयन और निपटान करने के लिए न्यायाधिकरण को वापस भेज दिया गया।---रिट स्वीकृत। (पैरा 1, 18, 26-29)

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

=====

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती जी. अनुपमा चक्रवर्ती

मौखिक निर्णय

दिनांक: 09-05-2024

रिट याचिका बिहार लोक निर्माण संविदा विवाद मध्यस्थता न्यायाधिकरण (जिसे संक्षेप में "न्यायाधिकरण" कहा जाता है) द्वारा संदर्भ वाद संख्या 62/2014 में पारित दिनांक 11.08.2014 के आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई है, जिसमें न्यायाधिकरण ने याचिकाकर्ता के आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि याचिकाकर्ता अनुबंध में गैर-पक्षकार है और बिहार लोक निर्माण संविदा विवाद मध्यस्थता न्यायाधिकरण अधिनियम, 2008 के प्रावधान के तहत विवाद उठाने के लिए सक्षम नहीं है। इसके अलावा, प्रतिवादियों और याचिकाकर्ताओं के बीच विवाद का न्यायनिर्णयन करने के लिए न्यायाधिकरण को निर्देश देने के लिए, क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादी संख्या 1 से 5 द्वारा प्रतिवादी संख्या 6 को दिए गए अनुबंध कार्य को निष्पादित किया है, जो न्यायाधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 2(जी) के अर्थ के भीतर उप-ठेकेदार/निष्पादक की अभिव्यक्ति के अंतर्गत आता है। इसके अलावा, यह घोषणा करने के लिए कि उप-ठेकेदार न्यायाधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 2(जी) के तहत परिभाषित पक्ष के दायरे में आता है, और न्यायाधिकरण प्रतिवादी सं. 1 से 5 के साथ-साथ प्रतिवादी सं. 6 के खिलाफ उप-ठेकेदार/निष्पादक के रूप में याचिकाकर्ता की शिकायतों पर विचार करने और निर्णय लेने के लिए सक्षम है। इसके अलावा, यह घोषणा करने के लिए कि उप-ठेकेदार/निष्पादक के रूप में याचिकाकर्ता द्वारा निष्पादित कार्य के कारण प्रतिवादी सं. 1 से 5 के खिलाफ याचिकाकर्ता का संबंध भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 के अध्याय X के तहत शामिल सिद्धांत, एजेंटों और उप-एजेंटों से संबंधित कानून की योजना द्वारा अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है।

2. याचिका से निकाले गए संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि 6वें प्रतिवादी को प्रतिवादी संख्या 1 से 5 अर्थात् विद्युत बोर्ड द्वारा वर्ष 2014 में विद्युत मीटर लगाने का कार्य

सौंपा गया था। इसके अलावा, 6वें प्रतिवादी कंपनी ने विद्युत मीटर लगाने के लिए याचिकाकर्ता अर्थात् स्थानीय ठेकेदार से संपर्क किया और दिनांक 22.01.2014 के पत्र के माध्यम से नियुक्ति सह कार्य आदेश जारी किया। इसके अलावा, 6वें प्रतिवादी ने दिनांक 05.10.2009 के पत्र के माध्यम से मोतिहारी, बेतिया और रक्सौल विद्युत आपूर्ति प्रभाग में 1250 सेट तीन चरण विद्युत मीटरों की स्थापना का कार्य पुनः सौंपा और स्थापना का उक्त कार्य 6वें प्रतिवादी द्वारा अनुलग्नक-2 के माध्यम से पुनः याचिकाकर्ता को सौंप दिया गया। याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 1 से 5 द्वारा प्रतिवादी संख्या 6 को दिए गए अनुबंध के निष्पादन के दौरान किए गए कार्य के भाग के लिए भुगतान प्राप्त किया, लेकिन रक्सौल और बेतिया विद्युत आपूर्ति प्रभागों में लगाए गए मीटरों के लिए प्रतिफल का भाग भुगतान नहीं किया गया। याचिकाकर्ता ने अपने द्वारा किए गए कार्य के लिए भुगतान की मांग के संबंध में व्यक्तिगत रूप से प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के कार्यालय का दौरा किया। लेकिन, प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता की शिकायतों को नजरअंदाज कर दिया और उन्हें प्रतिवादी संख्या 6 से संपर्क करने की सलाह दी गई। प्रतिवादियों के कृत्यों से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों के खिलाफ ट्रिब्यूनल के समक्ष संदर्भ मामला संख्या 62/2014 दायर किया, जिसमें अनुलग्नक-3 के अनुसार उनके द्वारा किए गए कार्य के लिए देय भुगतान करने के निर्देश मांगे गए। न्यायाधिकरण ने याचिकाकर्ता के आवेदन को दिनांक 11.08.2014 के आदेश के तहत इस आधार पर खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता अनुबंध का पक्षकार नहीं है और न्यायाधिकरण के समक्ष विवाद उठाने में सक्षम नहीं है (अनुलग्नक-4)

3. इसी से व्यथित होकर वर्तमान रिट याचिका दायर की गई।

4. नोटिस जारी करने के बावजूद, प्रतिवादी संख्या 6 अपने ज्ञात सर्वोत्तम कारण से व्यक्तिगत रूप से या वकील के माध्यम से न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ।

5. प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की ओर से विस्तृत जवाबी हलफनामा दायर किया गया। जवाबी हलफनामे की विषय-वस्तु से पता चलता है कि विद्युत बोर्ड, जो अब उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी है, ने प्रतिवादी संख्या 6 यानी मेसर्स जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को 10,000 विद्युत मीटरों की आपूर्ति और स्थापना के लिए ठेका दिया

था और बाद में मोतिहारी, बेतिया और रक्सौल में तीन चरणीय विद्युत मीटरों की स्थापना का अतिरिक्त कार्य सौंपा गया था। जवाबी हलफनामे में यह तथ्य भी सामने आया है कि मेसर्स जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने याचिकाकर्ता के माध्यम से उप-ठेकेदार के रूप में कार्य निष्पादित किया था। हालांकि, जवाबी हलफनामे में यह तर्क दिया गया है कि विद्युत बोर्ड और याचिकाकर्ता के बीच कोई अनुबंध संबंधी गोपनीयता नहीं है। यह भी तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता को विद्युत बोर्ड के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है, बल्कि उसकी शिकायतें छठे प्रतिवादी के खिलाफ हैं।

6. प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की ओर से पूरक जवाबी हलफनामा भी दाखिल किया गया और इसकी विषय-वस्तु से पता चलता है कि बिजली बोर्ड और प्रतिवादी संख्या 6 के बीच आज तक कोई बकाया नहीं है और बोर्ड और प्रतिवादी संख्या 6 के बीच किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण या विवाद निवारण की किसी भी प्रक्रिया में कोई विवाद लंबित नहीं है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदन के पैराग्राफ संख्या 17, 20 और 21 में खुद स्वीकार किया है कि बिजली बोर्ड द्वारा प्रतिवादी संख्या 6 को सभी भुगतान किए गए थे।

7. याचिकाकर्ता द्वारा एक पूरक हलफनामा दायर किया गया था जिसमें कहा गया था कि याचिकाकर्ता ने संदर्भ बिल संख्या 2 दिनांक 17.05.2011 के तहत छठे प्रतिवादी के समक्ष मोतिहारी सर्किल के बेतिया डिवीजन में कुल 158 मीटरों के लिए स्थापना बिल के साथ एक स्थापना रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और सभी मीटर स्थापना रिपोर्टों पर याचिकाकर्ता के प्रतिनिधि और सहायक विद्युत अभियंता और विद्युत कार्यपालक अभियंता, बेतिया डिवीजन द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किए गए थे, जो स्वयं दर्शाता है कि उप-ठेकेदार के रूप में याचिकाकर्ता की भूमिका प्रतिवादियों के ज्ञान, स्वीकृति और स्वीकृति के भीतर थी। इसके अलावा बिहार विद्युत बोर्ड के अनुश्रव प्रकोष्ठ के पत्रांक 34/2009 दिनांक 24.12.2010 के निर्देश पर प्रतिवादी संख्या 6 ने पत्रांक 24.12.2010 एवं 8.12.2010 के माध्यम से कार्यपालक अभियंता विद्युत केन्द्रीय भण्डार, मोतिहारी को रक्सौल प्रमंडल हेतु 138 मीटर, बेतिया प्रमंडल हेतु 84 मीटर एवं मोतिहारी प्रमंडल हेतु 218 मीटर श्री फेज प्राप्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया, जिसकी विधिवत पावती कार्यपालक अभियंता, मोतिहारी द्वारा दी गई तथा भण्डार सहायक, विद्युत केन्द्रीय भण्डार, मोतिहारी द्वारा प्राप्त किया गया।

8. पूरक हलफनामे में आगे यह खुलासा किया गया है कि याचिकाकर्ता के विभिन्न पत्रों और ज्ञापनों को छठे प्रतिवादी और विद्युत बोर्ड के अधिकारियों द्वारा स्वीकार किया गया है, जिससे यह साबित होता है कि याचिकाकर्ता प्रतिवादी संख्या 6 के लिए अनुबंध का उप-ठेकेदार/निष्पादक था।

9. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ताओं के साथ-साथ प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।

10. मामले का पूरा मुद्दा यह है कि क्या न्यायाधिकरण उप-ठेकेदारों/निष्पादकों के विवादों को हल/निर्णय कर सकता है या नहीं?

11. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का यह विशिष्ट तर्क है कि न्यायाधिकरण अधिनियम, 2008 की प्रस्तावना से पता चलता है कि इसका गठन कार्य अनुबंधों से उत्पन्न विवादों में मध्यस्थता करने के लिए किया गया है, जिसमें राज्य सरकार या कोई सार्वजनिक उपक्रम एक पक्ष है और विवाद का शीघ्र निपटान करने के लिए भी। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि उक्त अधिनियम की धारा 2(जी) के अनुसार "पक्ष" का अर्थ कार्य अनुबंध या सेवा अनुबंध का पक्ष है और इसमें उसके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक या समनुदेशिनी शामिल हैं। निष्पादक के अर्थ को प्रमाणित करने के लिए, विद्वान वकील ने तर्क दिया कि डिक्शनरी.कॉम के अनुसार निष्पादक का अर्थ यह है कि निष्पादक वह व्यक्ति होता है जो किसी कर्तव्य, नौकरी, असाइनमेंट, कलात्मक कार्य आदि को निष्पादित करता है, पूरा करता है या करता है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार, "निष्पादक" का अर्थ है "वह जो निष्पादित करता है या पूरा करता है; वह जो कार्रवाई करता है, या व्यवहार में लाता है; एक कंडक्टर या प्रबंधक; एक प्रशासक या प्रवर्तक; एक एजेंट, कर्ता, कलाकार, निष्पादक।

12. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का यह विशिष्ट तर्क है कि यह एक स्वीकृत तथ्य है कि प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का कार्य याचिकाकर्ताओं द्वारा छठे प्रतिवादी के कहने पर निष्पादित किया गया था, इसलिए उन्हें न्यायाधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 2(जी) के तहत एक "पक्ष" कहा जाएगा। अपने तर्क का समर्थन करने के लिए याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने सर्वोच्च न्यायालय के (2007) 3 एससीसी 124 (वाणिज्यिक कराधान अधिकारी, उदयपुर बनाम मेसर्स राजस्थान टैक्सकेम लिमिटेड)

के फैसले पर भरोसा किया ताकि "शामिल है" शब्द पर प्रकाश डाला जा सके। बेहतर समझ के लिए, पैराग्राफ 22 को निम्नानुसार उद्धृत किया गया है:

"22. हमने धारा 2(34) के तहत कच्चे माल की परिभाषा पहले ही निकाल ली है, जिसमें विनिर्माण के उद्देश्य के लिए आवश्यक ईंधन को कच्चे माल के रूप में शामिल किया गया है। शामिल शब्द कानून में शब्दों या वाक्यांशों को व्यापक अर्थ देता है। शामिल शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर कानून में शब्दों के अर्थ को बढ़ाने के लिए व्याख्या खंड में किया जाता है। जब शामिल शब्द का इस्तेमाल शब्दों या वाक्यांशों में किया जाता है, तो इसका मतलब न केवल उन चीजों को समझना चाहिए जो उनके स्वभाव और प्रभाव के अनुसार संकेत करती हैं, बल्कि उन चीजों को भी शामिल करना चाहिए जिन्हें व्याख्या खंड में शामिल किया जाना घोषित किया गया है। इस मामले में कोई विवाद नहीं है कि डीजल और स्नेहक का उपयोग डीजी सेट के माध्यम से बिजली बनाने के लिए किया जाता है जिसका उपयोग यार्न के निर्माण के उद्देश्य से किया जाता है। इस प्रकार, यह देखा गया है कि चूंकि डीजल को विशेष रूप से और जानबूझकर विधानमंडल द्वारा कच्चे माल की परिभाषा में शामिल किया गया है, इसलिए यह सवाल कि क्या इसका निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग किया जाता है, अप्रासंगिक है जैसा कि श्री सुशील कुमार जैन ने तर्क दिया है।"

ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में निर्माण का नियम "नोस्कंदूर ए सोशियस" कहावत का प्रयोग या चर्चा की है।

13. जिसमें याचिकाकर्ता के वकील ने एआईआर 1960 एससी 610 (बॉम्बे राज्य बनाम अस्पताल मजदूर सभा) में दिए गए फैसले का हवाला दिया। मामले की बेहतर समझ के लिए, फैसले के पैराग्राफ 9 को नीचे उद्धृत किया गया है: -

"9. हालाँकि, यह तर्क दिया जाता है कि परिभाषा की व्याख्या

करते समय, हमें नोस्कंदुर ए सोसाइस के निर्माण के नियम को अपनाना चाहिए। मैक्सवेल के अनुसार, इस नियम का अर्थ है कि, जब दो या दो से अधिक शब्द जो समान अर्थ के लिए अतिसंवेदनशील होते हैं, उन्हें एक साथ जोड़ा जाता है, तो उन्हें उनके समानार्थी अर्थ में उपयोग किया जाता है। वे एक दूसरे से अपना रंग लेते हैं, यानी, अधिक सामान्य एक कम सामान्य के समान अर्थ तक सीमित होता है। इसी नियम की व्याख्या वर्ड्स एंड फ्रेजेज (खंड XIV, पृष्ठ 207) में इस प्रकार की गई है: "नोस्कंदुर ए सोसाइस के सिद्धांत के तहत संबद्ध शब्द एक दूसरे से अपना अर्थ लेते हैं, जिसका दर्शन यह है कि किसी संदिग्ध शब्द का अर्थ उसके साथ जुड़े शब्दों के अर्थ के संदर्भ में पता लगाया जा सकता है; ऐसा सिद्धांत मैक्सिम एजुसडेम जेनेरिस से अधिक व्यापक है। वास्तव में उत्तरार्द्ध कहावत "केवल व्यापक कहावत नोस्कंदुर ए सोसाइस का एक उदाहरण या विशिष्ट अनुप्रयोग है"। तर्क यह है कि कुछ आवश्यक विशेषताएं या गुण अनिवार्य रूप से "व्यवसाय और व्यापार" शब्दों के साथ जुड़े होते हैं, जैसा कि लोकप्रिय और पारंपरिक अर्थों में समझा जाता है, और यह इन विशेषताओं का रंग है जो परिभाषा में प्रयुक्त अन्य शब्दों द्वारा लिया जाता है, हालांकि उनका सामान्य आयात बहुत व्यापक हो सकता है। हम इस तर्क से प्रभावित नहीं हैं। यह ध्यान में रखना चाहिए कि नोस्कंदुर ए सोसाइस केवल निर्माण का एक नियम है और यह उन मामलों में मान्य नहीं हो सकता है जहां यह स्पष्ट है कि परिभाषित शब्द के दायरे को व्यापक बनाने के लिए व्यापक शब्दों का जानबूझकर उपयोग किया गया है। वर्तमान निर्माण नियम का उपयोग केवल तभी किया जा सकता है जब व्यापक शब्दों को संकीर्ण महत्व के शब्दों के साथ जोड़ने में विधानमंडल का इरादा संदिग्ध हो, या अन्यथा स्पष्ट न हो। इसे वहां भी लागू किया जा सकता है जहां व्यापक अर्थ वाले शब्दों का अर्थ संदिग्ध हो; लेकिन, जहां व्यापक अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग करने में विधानमंडल का उद्देश्य स्पष्ट और अस्पष्टता से मुक्त हो, वहां प्रश्नगत निर्माण के नियम को लागू नहीं किया जा सकता। जैसा कि अर्ल ऑफ हेल्सबरी, एल.सी. ने

कॉर्पोरेशन ऑफ ग्लासगो बनाम ग्लासगो ट्रामवे एंड ओम्निबस कंपनी लिमिटेड [(1898)एसी 631 पृष्ठ 634 पर] में भूमि मूल्यांकन (स्कॉटलैंड) अधिनियम, 1854 की धारा 6 में प्रयुक्त व्यापक शब्दों के साथ व्यवहार करते हुए कहा है, "शब्द 'उक्त ट्रामवे के संबंध में सभी खर्चों से मुक्त' मुझे अपने अनुप्रयोग में इतने व्यापक प्रतीत होते हैं कि मैंने सोचा कि उन्हें अन्य शब्दों के साथ संबद्ध करके उन्हें योग्य बनाना या कम करना असंभव है, इस सिद्धांत पर कि वे पहले बताए गए शब्दों के साथ एक समान हैं"। यदि कानून के उद्देश्य और दायरे पर विचार किया जाए तो यह मानने में कोई कठिनाई नहीं होगी कि धारा 2(जे) में "उद्योग" को परिभाषित करने में विधायिका द्वारा व्यापक महत्व के प्रासंगिक शब्दों का जानबूझकर उपयोग किया गया है। अधिनियम का उद्देश्य औद्योगिक विवादों की जांच और निपटारे के लिए प्रावधान करना था, और इसके प्रावधानों की सीमा और दायरा तब समझ में आएगा जब हम धारा 2(के) द्वारा दी गई "औद्योगिक विवाद", धारा 2(आरआर) द्वारा "मजदूरी", धारा 2(एस) द्वारा "कर्मचारी" और धारा 2(जी) द्वारा "नियोक्ता" की परिभाषा को ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा, धारा 2(एम) द्वारा निर्धारित सार्वजनिक उपयोगिता सेवा की परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है। धारा 2(एम) द्वारा उल्लिखित सार्वजनिक उपयोगिता सेवा की छह श्रेणियों पर एक नज़र डालने से ही यह पता चल जाता है कि अपीलकर्ता जिस निर्माण नियम पर भरोसा करता है, वह धारा 2(जे) द्वारा निर्धारित परिभाषा की व्याख्या करने में लागू नहीं होता है।

14. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का यह भी तर्क है कि बिहार लोक निर्माण संविदा विवाद मध्यस्थता न्यायाधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 2(के) (iii) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि "इस अधिनियम में प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए, लेकिन मध्यस्थता अधिनियम में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो मध्यस्थता अधिनियम में उन्हें दिए गए हैं।"

15. दूसरी ओर, प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि न्यायाधिकरण ने याचिकाकर्ता के दावे को इस बात को ध्यान में रखते हुए खारिज कर दिया है कि वह

समझौते का पक्षकार नहीं है और इसलिए न्यायाधिकरण ने दावे को सही तरीके से खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का यह विशिष्ट तर्क है कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के तहत धारा 2(एच) के तहत "पक्ष" की परिभाषा का अर्थ मध्यस्थता समझौते का पक्षकार है।

16. प्रतिवादियों के विद्वान वकील का यह भी तर्क है कि बिहार लोक निर्माण संविदा विवाद मध्यस्थता न्यायाधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 2(जी) के तहत परिभाषित "पक्ष" और मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के तहत परिभाषित "पक्ष" पर विचार किया जाना है, लेकिन न्यायाधिकरण अधिनियम, 2008 के तहत परिभाषा पर नहीं। प्रतिवादियों संख्या 1 से 5 के विद्वान वकील का यह भी तर्क है कि न्यायाधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 8 स्पष्ट रूप से निम्नलिखित को परिभाषित करती है: -

"8. अरबिट्रेशन और सुलह अधिनियम, 1996 के अतिरिक्त अधिनियम के रूप में- इस अधिनियम में निर्धारित किसी भी प्रावधान के बावजूद, यह प्रावधान अरबिट्रेशन और सुलह अधिनियम, 1996 के अतिरिक्त और पूरक होंगे और यदि इस अधिनियम में निर्धारित किसी भी प्रावधान को अरबिट्रेशन अधिनियम से विरोधाभासी के रूप में समझा जाता है, तो इस विरोधाभास की स्थिति में अरबिट्रेशन अधिनियम प्रबल होगा।"

17. अतः प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि याचिकाकर्ता के दावे को खारिज करने में न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि या अनियमितता नहीं है।

18. संपूर्ण अभिलेखों के अवलोकन और प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करने पर, यह स्पष्ट है कि न्यायाधिकरण अधिनियम, 2008 का गठन उन कार्य अनुबंधों से उत्पन्न विवादों को हल करने के लिए किया गया है, जिनमें राज्य सरकार या कोई सार्वजनिक उपक्रम पक्षकार है। अधिनियम का उद्देश्य यह देखना है कि विवादों के त्वरित समाधान के लिए तंत्र हो। निस्संदेह, प्रतिवादी संख्या 1 से 5 अर्थात् विद्युत बोर्ड ने छठे प्रतिवादी को अनुबंध दिया है, जिसने बदले में याचिकाकर्ता को उप-अनुबंध दिया है। छठे प्रतिवादी की ओर से याचिकाकर्ता द्वारा निष्पादित कार्यों के बारे में कोई विवाद नहीं है। पक्षों

के बीच संपूर्ण पत्राचार से पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने छठे प्रतिवादी के कार्यों को निष्पादित किया जो प्रतिवादी संख्या 1 से 5 अर्थात् विद्युत बोर्ड द्वारा आवंटित किए गए थे। बेशक, याचिकाकर्ता की पूरी शिकायत यह है कि 6वें प्रतिवादी द्वारा भुगतान नहीं किया गया, जिसके लिए उसने बकाया राशि के लिए प्रतिवादी संख्या 1 से 5 तक का रुख किया, जिसमें बिजली बोर्ड की ओर से कोई जवाब नहीं मिला, जिसके लिए याचिकाकर्ता को ट्रिब्यूनल के समक्ष संदर्भ मामला दायर करने के लिए बाध्य होना पड़ा। जैसा कि सुप्रा ने कहा, 6वें प्रतिवादी ने नोटिस प्राप्त करने के बावजूद मामले में उपस्थित होकर प्रतिवाद नहीं किया। दूसरी ओर, बिजली बोर्ड के जवाबी हलफनामे से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि बिजली बोर्ड और 6वें प्रतिवादी के बीच किसी भी अन्य फोरम के समक्ष किसी भी तरह से बकाया है।

19. प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का तर्क था कि सभी भुगतान 6वें प्रतिवादी को कर दिए गए हैं। इस न्यायालय द्वारा तय किया जाने वाला एकमात्र बिंदु यह है कि क्या उप-ठेकेदार को न्यायाधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 2(जी) के तहत पक्षकार के रूप में बुलाया जा सकता है या नहीं।

20. यह सच है कि मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 के तहत "पक्ष" की परिभाषा की तुलना में अधिनियम के तहत "पक्ष" का अर्थ व्यापक है। न्यायाधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 2(के)(iii) में परिभाषित किया गया है कि "इस अधिनियम में प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए लेकिन मध्यस्थता अधिनियम में परिभाषित किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का अर्थ मध्यस्थता अधिनियम में निर्दिष्ट अर्थ होगा। न्यायाधिकरण अधिनियम, 2008 में "पक्ष" शब्द को परिभाषित किया गया है और धारा 2(के)(iii) के अनुसार यदि कोई शब्द अधिनियम के तहत परिभाषित नहीं है तो मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 के तहत "पक्ष" के अर्थ/परिभाषा पर ही विचार किया जाना चाहिए। "पक्ष" के अर्थ में निष्पादक को शामिल किया गया है, इस न्यायालय का विचार है कि याचिकाकर्ता "पक्ष" के अर्थ में आता है और इसलिए न्यायाधिकरण द्वारा याचिकाकर्ता के दावे को खारिज करना अवैध और मनमाना है। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के विद्वान वकील ने बिहार राज्य बनाम मेसर्स ब्रह्मपुत्र इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उल्लेख पर भरोसा किया है, जिसमें उनके माननीय न्यायाधीशों ने पैराग्राफ

संख्या 5 में निम्नलिखित निर्णय दिया है:

“राज्य अधिनियम की धारा 8, 9 और 22 की योजना से पता चलता है कि केंद्रीय अधिनियम की प्रयोज्यता निर्धारित करने वाले समझौते की अनुपस्थिति में, राज्य अधिनियम कार्य अनुबंधों पर लागू होता है। चूंकि वर्तमान मामलों में, एक मध्यस्थता समझौता मौजूद है और केंद्रीय अधिनियम की प्रयोज्यता निर्धारित करता है, इसलिए राज्य अधिनियम लागू नहीं होगा। इसलिए, हमें विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिलता है।”

21. उक्त निर्णय के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विद्युत बोर्ड और प्रतिवादियों के बीच एक मध्यस्थता समझौता मौजूद है, जिसमें मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 यानी केंद्रीय अधिनियम के तहत किसी भी विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने का खंड शामिल है।

22. निस्संदेह, वर्तमान मामले में विवाद विद्युत बोर्ड और प्रतिवादी संख्या 6 के बीच नहीं है। पूरा विवाद प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से याचिकाकर्ता द्वारा निष्पादित कार्यों के लिए बकाया राशि का भुगतान न करने के लिए है, इसलिए, उपरोक्त निर्णय तथ्य तय करने के लिए कहीं भी सहायक नहीं है।

23. इसके अलावा, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 41 सहपठित धारा 70 पर भरोसा किया।

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 41 इस प्रकार है:-

41. तीसरे व्यक्ति से निष्पादन स्वीकार करने का प्रभाव - जब वचनग्रहीता तीसरे व्यक्ति से वचन का निष्पादन स्वीकार करता है, तब वह तत्पश्चात् उसे वचनदाता के विरुद्ध प्रवर्तित नहीं कर सकता।

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 70 इस प्रकार है:

“70. गैर-अनुग्रहित कार्य का लाभ लेने वाले व्यक्ति का दायित्व। - जहां कोई व्यक्ति विधिपूर्वक किसी अन्य व्यक्ति के लिए कुछ

करता है, या उसे कुछ देता है, ऐसा करने का इरादा नहीं रखता है, और ऐसा अन्य व्यक्ति उसका लाभ उठाता है, तो बाद वाला व्यक्ति उस कार्य के संबंध में पूर्व को प्रतिपूर्ति करने, या उस कार्य को वापस करने के लिए बाध्य है।

24. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने अपने तर्कों को पुष्ट करने के लिए (2008) 1 एससीसी 503 (भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड) में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया, जिसमें उनके माननीय न्यायाधीशों ने माना है कि "सामान्य नियम यह है कि प्रस्ताव को केवल प्रस्ताव की ओर से चुप्पी से स्वीकार नहीं किया जाता है, फिर भी इसका मतलब यह नहीं है कि स्वीकृति हमेशा इतने शब्दों में दी जानी चाहिए। कुछ परिस्थितियों में, प्रस्तावकर्ता की चुप्पी, उसके आचरण के साथ मिलकर, जो एक सकारात्मक कार्य का रूप ले लेती है, मौन स्वीकृति और समझौता बन सकती है। इसलिए, पक्षों के बीच अनुबंध की शर्तों को न केवल उनके शब्दों से बल्कि उनके आचरण से भी साबित किया जा सकता है।"

25. इसके अलावा विद्वान वकील ने (1985) 2 एससीसी 9 (हैदराबाद नगर निगम बनाम एम. कृष्णास्वामी मुदलियार एवं मुदलियार एवं अन्य) में दिए गए उल्लेख पर भी भरोसा किया, जिसमें उनके माननीय न्यायाधीशों ने माना है कि "सरकार ने प्रतिवादी-वादी को यह नहीं बताया कि बढ़ी हुई दरों के कारण उसे कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा या उसे मूल दरों के आधार पर काम पूरा करना होगा। वास्तव में सरकार द्वारा कोई जवाब नहीं भेजा गया और प्रतिवादी-वादी की अतिरिक्त भुगतान की मांग के संबंध में सरकार द्वारा जानबूझकर चुप्पी बनाए रखी गई, इस संबंध में कई अनुस्मारक के बावजूद, जब तक कि वादी ने वास्तव में विस्तारित अवधि के दौरान काम पूरा नहीं कर लिया और केवल जब काम पूरा होने के बाद वादी-प्रतिवादी ने पार्टियों के बीच मूल रूप से सहमत दरों से 20 प्रतिशत अतिरिक्त का दावा करते हुए अपना अंतिम बिल प्रस्तुत किया, तब सरकार ने कहा कि वह बढ़ी हुई दरों के हकदार नहीं थे। पक्षों के बीच आदान-प्रदान किए गए पत्राचार और रिकॉर्ड पर मौजूद अन्य सामग्री पर विचार करने के बाद उच्च न्यायालय ने यह माना है कि सरकार किए गए कार्य के लिए अतिरिक्त भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थी क्योंकि इस बात पर कोई विवाद नहीं था कि दो साल की विस्तारित अवधि के दौरान सामग्री आदि की दरें बढ़ गई थीं और वादी

ऐसे अतिरिक्त भुगतान का हकदार था। रिकॉर्ड पर मौजूद प्रासंगिक सामग्री पर विचार करने के बाद हमारा मानना है कि न्याय और कानून दोनों में वादी ठेकेदार अतिरिक्त भुगतान प्राप्त करने का हकदार है और उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी-वादी के पक्ष में सवाल का फैसला करके सही किया। चूंकि समझौते में प्रवेश करने के बाद एक्स. ए-1 ड्रेनेज डिवीजन को पीडब्ल्यूडी से हैदराबाद नगर निगम में स्थानांतरित कर दिया गया था, इसलिए हमारे विचार में यह अतिरिक्त भुगतान करने की जिम्मेदारी अपीलकर्ता निगम पर उचित रूप से डाली गई है।"

26. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि मामले का फैसला करते समय आचरण के साथ-साथ "सब साइलेंटियो" यानी पक्ष द्वारा जारी रखे गए अनुबंध को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। हालांकि प्रतिवादी संख्या 1 से 5 और याचिकाकर्ता के बीच कोई समझौता नहीं है, प्रतिवादी बोर्ड को याचिकाकर्ता द्वारा निष्पादित कार्यों के बारे में जानकारी थी, इसलिए वे यह तर्क नहीं दे सकते कि याचिकाकर्ता 'पक्ष' की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है और इस तरह न्यायाधिकरण ने उनके दावे को सही रूप से खारिज कर दिया था।

27. न्यायाधिकरण के निर्णय के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने स्वीकृत बकाया राशि के लिए 6,27,163/- रुपए के भुगतान के लिए न्यायाधिकरण के समक्ष संदर्भ मामला संख्या 62/2014 प्रस्तुत किया है तथा विपक्षी पक्षों को 12% वार्षिक ब्याज के साथ राशि का भुगतान करने का निर्देश देने की मांग की है। दावे पर निर्णय करते समय न्यायाधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि याचिकाकर्ता बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का न तो उत्तराधिकारी है, न ही निष्पादक, प्रशासक या समनुदेशी है। निःसंदेह याचिकाकर्ता को विद्युत बोर्ड का उत्तराधिकारी नहीं माना जा सकता है, बल्कि उसे प्रतिवादी संख्या 6 का निष्पादक माना जाना चाहिए। निःसंदेह प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पूर्वनिर्धारण के अनुसार अपने आचरण और मौन रहकर याचिकाकर्ता को प्रतिवादी संख्या 6 को आवंटित कार्यों को निष्पादित करने की अनुमति दी।

28. इसके अलावा न्यायाधिकरण का यह निष्कर्ष कि याचिकाकर्ता को "पक्ष" नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह याचिकाकर्ता उक्त सार्वजनिक उपक्रम और विरोधी पक्षों के समक्ष अनुबंध के लिए अजनबी है, मनमाना और अवैध है क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के पास याचिकाकर्ता द्वारा निष्पादित कार्यों के संबंध में कोई विवाद नहीं है। इसलिए न्यायाधिकरण के दिनांक 11.08.2014 के विवादित आदेश को रद्द किया जाता है और मामले को न्यायाधिकरण

को वापस भेजा जाता है ताकि आदेश की प्राप्ति की तारीख से चार महीने की अवधि के भीतर विवाद का निपटारा किया जा सके।

29. उपर्युक्त निष्कर्ष के साथ, यह न्यायालय इस विचार पर है कि ठेकेदार की ओर से कार्य निष्पादित करने वाले उप-ठेकेदार को न्यायाधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 2(जी) के तहत अर्थ के अनुसार "पक्ष" कहा जा सकता है।

30. परिणामस्वरूप, रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

31. यदि कोई अंतरिम आवेदन है तो उसका निपटारा कर दिया जाएगा।

(जी.अनुपमा चक्रवर्ती, न्यायमूर्ति)

एस पी डी/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।